

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-51/2019/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुनिता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उपकेन्द्र, धुवालियां, खण्ड गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा, जिनकी जन्मतिथि 22.04.1968 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 24.02.1989 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 31.12.2013 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि 31.12.2018 अकार्य दिवस मानी जावेगी।

उक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 5827/2018 द्वारा श्रीमती सुनिता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2018 की पालना में राज्य सरकार की आई.डी. क्रमांक 858 दिनांक 11.02.2019 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 21/2/19

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-51/2019/371

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 231 दिनांक 08.02.2019 के क्रम में।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा एवं प्रभारी अधिकारी केंस/समन्वयक।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुलाबपुरा (जिला भीलवाड़ा)।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर